-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों के कब्जे चोरी का ई-रिक्शा किया गया बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.06.2025 को अतर्रा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों चोरी के मामले में जेल भेजा गया था जिनके कब्जे से चोरी किए गए 02 ई-रिक्शा

07 बैट्री (ई-रिक्शा की) ई-रिक्शा की एक मोटर व 38900 रुपये बरामद किए गए थे । प्रकरण में आगे की विवेचना एवं जांच के क्रम में आज दिनांक 17.07.2025 को मा0 न्यायालय से अभियुक्तों की रिमांड प्राप्त कर अभियुक्तों से पूछताछ करते हुए उनकी निशादेही पर तहसील के सामने स्थित जंगलों के बीच से एक अदद चोरी का ई रिक्शा बरामद किया गया । बाद बरामदगी अभियुक्तों को पुन: जेल भेज दिया गया ।

वर्तमान बरामदगी-

- 01 ई-रिक्शा (चोरी का)

पूर्व बरामदगी (दिनांक-17.06.2025)-

- चोरी किए गए 02 ई-रिक्शा
- 07 बैट्री (ई-रिक्शा की)
- ई-रिक्शा की एक मोटर
- 01 अवैध तमंचा
- 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
- 38900 रुपये नकद (चोरी किए गए तथा बैट्री बेचने से प्राप्त)

अभियुक्त-

1. अखिलेश सिंह पुत्र राम सिंह नि0 पिस्टा थाना बिसंडा जनपद बाँदा (मुठभेड़ में घायल) ।
2. रिंकू सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह नि0 पिस्टा थाना बिसंडा जनपद बाँदा ।
3. राकेश सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह नि0 पिस्टा थाना बिसंडा जनपद बाँदा ।